भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्र. एफ. 30-7-99-दस-3.— मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, वनोपज के लिये परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है

क्र.	वनोपज का नाम	शुल्क		
		प्रति ट्रक रुपया	प्रति टेक्टर ट्राली रु.	प्रति बैलगाड़ी रुपया
1	इमारती व जलाऊ काष्ठ तथा बांस	100/-	50/-	10/-
2	लघु वनोपज	25/-	10/-	2/-

हाथ ठेले से वनोपज के परिवहन पर अनुज्ञा-पत्र शुल्क नहीं लिया जाएगा.

मिनि ट्रक (जैसे टाटा 407) द्वारा वनोपज परिवहन करने पर भी ट्रक के लिये निर्धारित अनुज्ञा-पत्र शुल्क लिया जाएगा.

ट्रक में एक से अधिक व्यापारियों द्वारा वनोपज परिवहन पर वाहन की श्रेणी के अनुसार प्रति अनुज्ञा-पत्र पृथक्-पृथक् अनुज्ञा शुल्क लिया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रतन पुरवार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्र. एफ-30-7-99-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-7-99-दस-3, दिनांक 6 सितम्बर 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रतन पुरवार, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th September 2001

No. F-30-7-99-X-3.—In exercise of the power conferred by Section-5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules 2000, the State Government hereby prescribes the following fee to be recovered for issue of transit pass for transportation of forest produce :—

S. No.	Name of Forest produce	Fee		
		Rupees/ Truck	Rupees/ Tractor Trolly	Rupees/ Cartload
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Timber, Fuel and Bamboo	100.00	50.00	10.00
2.	Minor Forest Produce	25.00	10.00	2.00

No transit pass fee will be charged for forest produce taken by hand driven cart (Thela).

Transit pass fee will also be charged for forest produce transported even by mini trucks (e.g. Tata 407).

In case, where forest produce is transported in a truck by more than one purchaser the transit pass fee will be charged separately from each purchaser as transit pass fee fixed for various class of vehicles.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RATAN PURWAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्र. एफ-30-7-99-दस-3.—मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 5(2) (ख) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा तेन्दूपत्ता के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये निम्नानुसार शुल्क निर्धारित की जाती है :—

(1) परिवहन अनुज्ञा-पत्र 2 एवं 4 हेतु (ट्रक/ट्रेक्टर/बैलगाड़ी द्वारा परिवहन हेतु)	रु. 1.00 प्रति मानक बोरा
(2) परिवहन अनुज्ञा-पत्र-एक	निरंक
(3) परिवहन अनुज्ञा-पत्र-तीन	निरंक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्र. एफ-30-7-99-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-7-99-दस-3, दिनांक 6 सितम्बर 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th September 2001

No. F-30-7-99-X-3.—In exercise of the power conferred by Section-5(2) (b) of the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 the State Government hereby prescribes as follows the fee to be recovered for issue of transit pass for the transportation of Tendu Pattas.—

1.	For Transit Pass-2 and 4 (For transport through Truck/ Tractor/Cart Load)	:	Rs. 100 per Standard bag
2.	For Transit Pass-1	:	Nil
3.	For Transit Pass-3	:	Nil

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RATAN PURWAR, Addl. Secy.